UPMT010017642026

न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–848/2026
उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
ज्ञानेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–30/2026, धारा–303(2),317(2),316(3) बी०एन०एस० थाना–फरह, जिला मथुरा के अभियुक्त **ज्ञानेन्द्र सिंह** ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा महताब सिंह द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह DSA FREIGHT CARRIER GURURAM कम्पनी में फिल्ड मैनेजर के पद पर कार्य करता है। उसकी कम्पनी का ट्रक रजि० संख्या–RJ09GB4627 को करीब एक वर्ष से उसकी कम्पनी का चालक ज्ञानेन्द्र सिंह चलाता है। दिनांक–23.01.2026 को रानीपुर हरिद्वार से उक्त ट्रक में कुल 50 मोटरसाइकिल (न्यू) पैशन प्लश को लोड कर श्री वेंकटेश मोटर्स SY NO–584/1, OPP. DON BOSCO SCHOOL यादगीर कर्नाटक ले जा रहा था। ट्रक चालक ज्ञानेन्द्र सिंह का मोबाइल फोन स्वीच आफ बताने लगा। उसने जानकारी की तो उसे ट्रक वकील ठाबा रैपुराजट थाना क्षेत्र की पार्किंग ऐरिया में खड़ा मिला। जब उसने ट्रक में मोटरसाइकिलों को चेक किया तो उसमें से सभी मोटरसाइकिल की बैट्री नहीं थी। ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा मोटरसाइकिल की 50 बैट्री चोरी कर ली गयी। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर उक्त मामले में धारा–317(2),316(3) BNS बढ़ोतरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त मुकदमें के वादी महताब सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि अभियुक्त गाड़ी का ड्राइवर था तथा वह 50 मोटरसाइकिल लेकर चला था। परन्तु वास्तव में मैनेजर द्वारा रास्ते का समुचित खर्चा न देने के कारण अभियुक्त ने उक्त गाड़ी मय मोटरसाइकिल को ढाबे पर खड़ी कर दी। इसी बात से नाराज होकर घटना के 11 दिन बाद झूठी रिपोर्ट कर गलत रूप से बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वंतत्र जन साक्षी

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.12 12:59:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल की बैट्रियाँ चोरी कर ले जाने एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बैट्रियाँ बरामद होने का आरोप है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–11.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।